

(66)

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Money Suit No.- 15/1972

M/S Indian Iron & Steel Co., Ltd., Gua

V/s


Bihar State Electricity Board

आदेश


यह वाद दिनांक- 09.05.1972 को M/S Indian Iron & Steel Co., Ltd., a Company incorporated under the Indian Companies Act having its registered office at 12, Mission Row, Calcutta-1 and Mines on amongst other places at Gua, P.O & P.S- Gua, District- West Singhbhum द्वारा वाद पत्र के Schedule 'A' में वर्णित राशि के लिए प्रतिवादी संख्या 1. Bihar State Electricity Board, a body corporated under the Electricity (Supply) Act having its office at Patna and Divisional Office at Chaibasa and place of business on amongst other places at Noamundi, Hatgamariya, Kiriburu within pergana Kolhan in the District- Wes Singhbhum. 2. State of Bihar के विरुद्ध यह मुद्रा वाद दायर किया गया है। इस वाद में दोनों पक्षों को नोटिस मिलने के बाद दिनांक- 20.11.2021 को वादी प्रतिवादी के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अंतिम उपस्थिति दी गई है। लेकिन सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी दोनों पक्षों की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अमिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


09.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


09.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।